construction of surface/elevated rail corridor from Shahadara to Tis Hazari has already commenced and is targetted to be completed by March, 2002.

Assistance under IDSMT Scheme

129.SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the Central assistance provided under the scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT) to various States during the last three years, State-wise; and

(b) the details of the towns which have been developed or are being developed under IDSMT, State-wise?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) Under the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns, Central assistance amounting to Rs. 7961.51 lakhs has been released to various States/UTs during the last three years (i.e. during 1995-96, 1996-97 and 1997-98). The Statewise details of Central assistance released under the Scheme during the last three years is given at Annexure. [*See Appendix 185, Annexure No. 1*]

(b) Since inception of the Scheme, 920 towns have been developed or are being developed. Details of towns are given at Annexure. [*See Appendix 185, Annexure No. 2*]

Construction work in Government Quarters

130. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that additional work done by contractors in Government quarters in 'A' Block, Moti Bagh-I, New Delhi, with payment of 10 per cent cost of the work from the allottees is not satisfactory;

(b) whether Government have received any complaints from the residents in this regard;

(c) if so, the details thereof and the action taken thereon; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) No, Sir.

(b) No, Sir, no such complaint have been received so far.

(c) and (d) Not applicable in view of (b) above.

Construction of Park near Delhi Hat

131. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration regarding the construction of a park near Delhi Hat;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that a number of representations have been submitted by the residents of the ajdouning colony in this regard; and

(d) if so, the reasons for delay and by when the park would be constructed, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) to (d) The New Delhi Municipal Council has reported that no such proposal is under consideration for construction of a park near Delhi Hat and no representation has been received from the residents in this regard.

टाइप-II और टाइप-III के सरकारी क्वार्टरों में सुविधाएं

132. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में टाइप-II और टाइप III के सरकारी मकानों में सुविधाओं संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्ष्मीबाई नगर समेत ऐसी किन किन कालोनियों में ये सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ग) 10% लागत राशि जमा करने के बाद कितने दिनों में/कितनी अवधि में किसी कार्य विशेष को पूरा कर दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) सुविधाओं के मौजूदा मानक विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) लक्ष्मीबाई नगर सहित लगभग सभी पुरानी कालोनियों में अभी भी मौजूदा मानकों के अनुसार सुविधाएं दी जानी बाकी हैं।

(ग) सुविधा व्यवस्था की लागत की अनुमानित राशि का 10%, 20%, 100%, भुगतान करने के तीन माह के भीतर साधनों/सुविधाओं की व्यवस्था सामान्यत: कर दी जाती है, बशर्ते राशियां उपलब्ध हों।

विवरण

मद सं.	टाइप–II, III
1.1	धारण क्षमता 10 टन प्रति वर्ग मीटर
1.2	टाइप–विलगित/संयुक्त प्र॰सी॰क॰ में स्प्रैड फा उंडेशन, अल्पकंक्रीट से सतत दीवार फूटिंग
1.3	भूतल से नीचे 1.2 मीटर तक की गहराई
2.1	ईंट कार्य में भारक दीवारों से प्र॰सी॰के॰ चौखटेदार निर्माण कार्य या आवश्यकतानुसार अन्तरवर्ती स्तंभों सहित ईंट/पत्थर चिनाई में भार धारक निर्माण कार्य
2.2	आन्तरिक विभाज 1:4 सीमेंट मसाले में आधी ईंट चिनाई
3.1	चौखटें: प्रथम श्रेणी में केल लकड़ी या दूसरी श्रेणी की देवदार लकड़ी या नरम इस्पात
3.2	किवाड़ (क) प्रथम श्रेणी केल लकड़ी या दूसरी श्रेणी देवदार लकड़ी
3.3	फिटिंग: आक्सीकृत लौह
3.4	केवल बाहरी दरवाजों के लिए दृश्य छिद्र और सुरक्षा चेन
4.1	50% क्षेत्र में मोजेक पर्शबंदी और किनारी और रसोई में कोटा पत्थर कार्य पटल
4.2	डब्लूसी और स्नानकक्ष (90/150 सेमी) में सफेद चमकदार डैडों में मोजेक
5.3	मड फ्लका या चूना कंक्रीट टाइलों से संपूर्त
6.1	बाहरी रंग पुताई (केवल सर्वेंट क्वार्टरों में)
6.2	बाह्य: जल रोधी सीमेंट पेंट या बाहरी ईंट कार्य पर वारड स्टोन ग्रिट पलस्तर (केवल टाइप-I) II और III)
	आन्तरिक
6.3	सभी कमरों में शुष्क डिस्टेंपर और लकड़ी/इस्पात कार्यों पर सिंथेटिक इनैमल पैंट छतों पर सफेदी (केवल टाइप-I, II और III)
6.4	आन्तरिक: सफेदी (सर्वेंट क्वार्टरों में)

सामान्य पूल रिहायशी क्वार्टरों के लिए सुविधाओं में संशोधित मानक

क्रम सं.	विवरण	टाइप-II	टाइप-III
1.	**रसोईघर**	**निर्मित फिटनेस**	
(I)	दीवार के एक तरफऊपर तले में 400 मिमी चौड़ी 1'' मोटी खुली शेल्फ	हां	हां
(II)	(क) निमज्जा तल (रसोई में)	एक	एक
	(ख) रसोई सिंक	एक फाइबर ग्लास सिंक, ड्रेन बोर्ड सहित	टाइप-II की तरह
(III)	**डैडो**		
	(क) कार्य पटल और निमज्जा तल के चारों तरफ60 सैंमी. ऊपर के लिए सफेद चमकदार टाइलें	हां	हां
	(ख) रसोई चबूतरें और खिड़की सिल स्तर तक निमड्जा फर्श के चारों तरफ1'' 0'' उंचा डंडा	–	–

क्रम सं.	विवरण	टाइप-II	टाइप III
(IV)	एक दीवार के साथ रसोई चबूतरे के नीचे खिड़की सिल स्तर तक शेल्फ और किवाड़ वाली अन्त: निर्मित अलमारियों (300 मिमी. गहराई वाली)	–	–
(V)	रसोई चबूतरे की ख़ड़ी ऊंचाई	हां*	हां*

टिप्पणी: यदि लोग आदी न हों तो टाइप (I) में उल्लिखित व्यवस्था न की जाए। स्थानीय लोगों की आदतों के अध्याधीन।

2.	**अन्य कमरें**		
(I)	1100 मिमी. से अनधिक चौड़ाई की शेल्फें वाली अन्त: निर्मित अलमारी अलमारी	एक शेल्फ और एक आलमारी	3 अदद
(II)	1100 मिमी. से अनधिक चौड़ाई के लकड़ी के शेल्फ और किवाड़ों वाली अन्त:निर्मित अलमारी	शयनकक्ष में एक	शयनकक्ष में एक
(III)	25 मिमी मोटी शेल्फ (400 मिमी से अधिक चौड़ी नहीं)	–	हां, भण्डारण में यदि व्यवस्था हो
(IV)	शयनकक्ष में अलमारी के ऊपर (खुला) भण्डार स्थान	एक	एक
(V)	सामने के दरवाजे पर "जज आई"	–	एक
(VI)	परदे की छड़	सभी कमरों में	सभी कमरों में
(VII)	खूंटिया	स्नानकक्ष और शयनकक्ष	स्नानकक्ष
(VIII)	कोल बाक्स	–	–
(IX)	कर्टन ब्रेकेट्स	हां	–

सामान्य पूल रिहायशी क्वार्टरों के लिए स्वच्छता जुड़नारों के संशोधित मानक

क्रम सं॰	विवरण	टाइप-II	टाइप-III
1.	भारतीय शैली का डब्लूसी शिरोपरि फ्लश टंकी सहित	एक,	एक
2.	यूरोपियन शैली डब्लूसी ऊंचे फ्लश सिस्टर्न सहित	–	–
3.	वाश बेसिन एक नल सहित	एक (550× 450मिमी)	एक (550× 450मिमी)
4.	नल (किचिन, स्नान कक्ष व डब्लूसी).	तीन	3+1 (सिंक के लिए)
5.	शॉवर	एक	एक
6.	टावल रेल	एक	एक
7.	दर्पण	एक	एक
8.	दीवार की मोटाई अनुसार ग्लास शेल्फ 24" 5" निच	–	–
9.	सोप रैक (डब्लूसी/स्नान कक्ष में निच)	एक	एक
10.	भण्डारण टंकी	एक	एक
11.	स्नानकक्ष में कोटा पत्थर सिल वाली निच	एक	एक

सामान्य पूल रिहायशी क्वार्टरों के लिए वैद्युत फिटिंग के संशोधित मानक

क्रम सं॰	विवरण	टाइप-II	टाइप-III
1.	पॉवर प्वाइंट	3	3
2.	पंखे (छतके)	3 पंखे	4 पंखे
3.	दरवाजा, कॉल बेल (गिनी बजर)	एक	एक
4.	पॉवर मीटर	एक	एक
5.	बिजली मीटर	एक	एक
6.	वाइरिंग (प्रकार)	टाइप-I की तरह	टाइप-I की तरह
7.	टेलीफोन कनेक्शन	-	-
8.	बिजली/पंखा प्वाइंट	बीस	तेईस
	एक कॉल बेल सहित	एक बेल	एक बेल
9.	प्लग प्वाइंट	दो	चार
10.	फ्लूरसेंट लाइट फिटिंग ट्यूब और स्टार्टर के बिना	दो	तीन
11.	विद्युत वितरण बोर्ड, एमसीबी सहित	-	-

सरकारी आवास में रहने वाले भूतपूर्व संसद् सदस्य

133. **सरदार गुरूचरण सिंह तोहड़ा:**
श्री सूर्यभान पाटील वहाहणे:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन भूतपूर्व संसद् सदस्यों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों ने अब तक अपने सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी सदस्यों ने मकान का किराया, बिल राशियों आदि की अदायगी कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है तथा कितनी-कितनी बकाया राशियां किन-किन व्यक्तियों द्वारा देय है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Growth in Housing Sector

134. KUMARI NIRMALA DESHPANDE: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have taken series of policy initiatives to boost up proper growth in housing sector;

(b) if so, the details of major policy decisions taken/under consideration and the likely impact thereof; and

(c) the details of package fiscal scope finalised to accelerate housing construction activities in the country?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) and (b) The National Housing & Habitat Policy since approved by the Government and laid on the Table of Lok Sabha and Rajya Sabha on 29th July 1998, envisages Government's role as enabler rather than builder.

Government would create an enabling environment by removing the legal, regulatory an financial constraints facing the Housing Sector. This would help all sections of the Society to gain access to land, finance and technology to obtain shelter for themselves. Government will however, continue to intervene directly for the benefit of the poor and vulnerable sections of society. The long term goal of this policy is to create surplus in housing stock either on ownership or rental basis. The State Governments are required to draw up their own action plans to address the housing problems in their States.

Apart from National Housing and Habitat Policy, the other steps taken/proposed to be taken include:—

1. Repeal of Urban Land (Ceiling & Regulation) Act.

2. Foreign Direct Investment in Housing and Construction Sector.

3. Increased support to HUDCO to enable it to play a more meaningful role.

According to the National Agenda for Governance, two million additional housing units are to be constructed every year with focus on the poor and deprived. Out of this, 7